भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1286

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मिलावटी कफ सिरप

†1286. श्री दुरई वाइकोः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में तमिलनाडु स्थित एक भेषज इकाई द्वारा आपूरित कोल्ड्रिफ कफ सिरप, जिसमें एक अत्यधिक विषैला औद्योगिक रसायन डाईइथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) पाया गया था, के सेवन से कथित तौर पर 25 बच्चों की मौत की रिपोर्ट की जानकारी है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य राज्यों से भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिनके परिणामस्वरूप पंजाब, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं और जांच की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए प्रयोगशाला परीक्षणों में उक्त कफ सिरप की एक खेप में 48.6 प्रतिशत डाईइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जो देश में निर्धारित अनुमेय सीमा से कहीं अधिक है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कफ सिरप के उत्पादन में शामिल विनिर्माता और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2024 की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान दिया है, जिसमें देश में औषधि निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और भेषज संबंधी निगरानी में गंभीर खामियों को उजागर किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भेषज संबंधी विनियमन को मजबूत करने, फार्मास्युटिकल-ग्रेड कच्चे माल के अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या तत्काल कदम उठाए गए या उठाए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कई बच्चों की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के एक जानपदिक रोग विज्ञानी, एक सूक्ष्मजैविकीविद्, एक कीटविज्ञानी और औषधि निरीक्षकों सहित विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम ने क्रमश: छिंदवाड़ा और नागपुर का दौरा किया और मध्य प्रदेश

राज्य अधिकारियों के समन्वय से रिपोर्ट किए गए मामलों और मृत्यु की विस्तृत जांच की। प्रभावित बच्चों द्वारा कथित तौर पर सेवन की गई कुल 19 औषधियों के नमूने, उपचार करने वाले निजी चिकित्सकों और आसपास के खुदरा स्टोरों से परीक्षण के लिए एकत्र किए गए। इन 19 नमूनों के रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि 15 नमूने मानक गुणवत्ता के थे, जबकि 4 नमूनों को अवमानक गुणवत्ता का (एनएसक्यू) घोषित किया गया। परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल द्वारा निर्मित और मृत बच्चों द्वारा सेवन किए गए सिरप कोल्ड्रिफ (बी. नंबर एसआर-13) में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) की मात्रा 46.28% डब्ल्यू/वी पाई गई।

मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के परिसर का निरीक्षण किया गया। अस्वच्छ भंडारण स्थितियों सहित कई गंभीर और महत्वपूर्ण विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) के उल्लंघन पाए गए। सीडीएससीओ ने निर्माता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार से संपर्क किया। तमिलनाडु राज्य औषधि नियंत्रक ने विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद, घटना के मद्देनजर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, जहां विवादित कफ सिरप के बैचों की आपूर्ति की गई थी, ने तत्काल प्रतिबंध और वापसी का आदेश दिया। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और इसमें शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी सहित सख्त कार्रवाई की गई है।

सीडीएससीओ को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2024 की ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें देश में दवा निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और फार्मास्युटिकल निगरानी में गंभीर कमियों को उजागर किया गया हो।

इसके अलावा, 3 अक्टूबर, 2025 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभागों और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को बच्चों के कफ सिरप के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही, औषधि नियंत्रक (भारत) ने 7 अक्टूबर, 2025 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों को औषधि नियम, 1945 के तहत परीक्षण आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और 27 अक्टूबर, 2025 को उन्हें नकली और घटिया दवाओं के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राज्य अधिकारियों के समन्वय से 1100 से अधिक कफ सिरप विनिर्माताओं की गहन ऑडिट की गई है। केंद्रीय और राज्य औषधि नियामकों द्वारा सिरप फॉर्मूलेशन के बाजार निगरानी नमूनाचयन भी बढ़ा दिए गए हैं।

कच्चे माल के परीक्षण की मौजूदा आवश्यकताओं के अतिरिक्त, भारतीय फार्माकोपिया आयोग, गाजियाबाद ने भारतीय भेषज संहिता (आईपी) 2022 में संशोधन जारी किया है, जिसमें बाजार में जारी करने से पहले तैयार उत्पाद चरण में ओरल लिक्विड में डीईजी और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) के परीक्षण को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
